न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम उपखण्ड अधिकारी ओसियाँ

पीठासीन अधिकारी :– रतनलाल रेगर (आर ए एस)

परिवाद सख्या 309 / 2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
प्रेमाराम पुत्र श्री रामचन्द्र जाति माली निवासी ग्रम बिजवाडिया तहसील तिवरी जिला जोधपुर।		सार्वजनिक निर्माण विभाग मथानिया ग्राम पंचायत बीजवाडिया

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 133 दण्ड प्रकिया संहिता

–:निर्णय :–

दिनॉक 30/10/19

उपस्थिति :–

प्रार्थी की ओर से परिवाद इस आशय का पेश किया गया कि ग्रम बीजवाडिया का निवासी है तथा प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि में प्रार्थी का रहवासीय मकान आदि बना हुआ है तथा प्रार्थी अपने मकान में रहवास आदि करता आ रहा है व काश्त आदि भी अपने खातेदारी भूमि में कर रहे है। प्रार्थी की रहवासीय ढाणी से दक्षिण दिशा की ओर ग्रम सवाईपुरा से गुणसागर मानसागर बेरे तक कच्ची मुडिया सडक चलती है जो हाल ही में अप्रार्थीगण [illegible] निर्माण कार्य करवाया गया हैं उक्त मार्ग के उपर एक नाला चलता था जिस [illegible] में वर्षाती पानी बहता था लेकिन वर्तमान में उक्त कच्ची मुडिया स[illegible] बनने से बारिस का का पानी एक स्थान पर जमा हो जाता है तथा उक्त पानी से कीचड तथा पानी में मच्छर आदि पनपते है तथा जन हानि होने की सम्भावना भी रहती है तथा अत्यधिक [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:41:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner

होने का खतरा है तथा भंयकर बीमारी भी हो सकती है। इसलिए उक्त सडक का हटवाया जाकर मौके पर जमा पानी का बहाव सुनिश्चित किया जाकर उक्त न्यूसेंस को रोका जाना न्यायोचित है। अन्त में ईस्तदुआ चाही कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बिजवाडिया में प्रार्थी के घर के आगे जमा पानी के अवरोध जो मुडिया सडक को हटाकर पानी के बहाव को सुनिशचित करने का सादिर आदेश फरमावे तथा मौके पर फैल रहे न्यूसेंस को हटाने की कृपा करावे।

उक्त परिवाद को दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया अप्रार्थीगण सख्या 01 द्वारा जबाब पेश कर बताया गया कि उक्त सडक पी डब्लू डी के नाम से नही होकर जे डी ए के खाते में है तथा उक्त सडक पर पंचायत समिति व सरपंच द्वारा ग्रेवल डलवाया गया है। ता इस हेतु पदेन सचित बालरवा को आदेश दिया जावे कि उक्त सडक के पास नाली बनाकर बहाव को सुनिश्चित किया जावे। ग्राम पंचायत बिजवाडिया द्वारा जबाब पेश किया गया कि वर्तमान में एक माह पूर्व स्थानिय निवासीयो द्वारा आपसी जनसहयोग से सडके के उपर मिटटी डाली गई ग्राम पंचायत के सभी कटाणी रास्ते जे डी ए के अधीन है तथा ग्राम पंचायत की कोई भागीदारी नही है मौका निरीक्षण में पाया गया कि वर्षा के समय कुछ समय के लिए पानी रूकता है जो बाद में उतर जाता है ।

उक्त जबाब पेश होने के पश्चात बहस सुनी गई अधिवक्ता प्रार्थी/परिवादी की ओर से परिवाद में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि परिवाद में वर्णित तथ्यो के स्थान पर पानी के जमाव बाबत अप्रार्थीगण द्वारा स्वीकार किया गया है। इसलिए उचित कार्यवाही कर मौके पर हो रही बाधा/रूकावट से [illegible] के [illegible] को सुनिश्चित किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:41:39 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से मौके के फोटोग्राफ पेश किए है जिसमें स्पष्ट हे कि वर्षात के मौसम में प्रार्थी के रहवासीय घर के आगे

Scanned by CamScanner

पानी का जमाव होता है तथा पानी ज्यादा समय तक जमा रहने से मौके पर मच्छर आदि पनपने तथा न्यूसेंस होने का खतरा रहता है। जिससे भंयकर बिमारियॉं भी हो सकती है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—:आदेश :—

अत परिवाद/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम पचायत बिजवाडिया को आदेश दिया जाता है कि ग्राम पंचायत उक्त न्यूसेंस बाबत प्रस्ताव लेकर उक्त प्रस्ताव को विकास अधिकारी के समक्ष पेश करे तथा विकास अधिकारी से आदेश प्राप्त कर निर्णय के 01 माह के भीतर भीतर मौके पर जमा पानी के अवरोध का हटाकर बहाव को सुनिश्चित करावे तथा निर्णय की पालना हेतु ग्राम पंचायत बिजवाडिया को तहरीर जारी हो।

रतनलाल रेगर
सहायक कलेक्टर एवम
उपखण्ड अधिकारी ओसियॉं

निर्णय आज दिनॉक 29/10/19 ....को सरेईजलास सुनाया गया।

रतनलाल रेगर
सहायक कलेक्टर एवम
उपखण्ड अधिकारी ओसियॉं

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:41:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner